



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Central Registration Centre

Certificate of Incorporation

[Pursuant to sub-section (2) of section 7 and sub-section (1) of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and rule 18 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

I hereby certify that REDCLIFFE LIFETECH PRIVATE LIMITED is incorporated on this Thirtieth day of January Two thousand twenty-one under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and that the company is limited by shares.

The Corporate Identity Number of the company is U85100UP2021PTC140992.

The Permanent Account Number (PAN) of the company is **AAKCR7631M** *

The Tax Deduction and Collection Account Number (TAN) of the company is **MRTR08855A** *

Given under my hand at Manesar this First day of February Two thousand twenty-one .

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Digital Signature Certificate
Shri VIKRAM SINGH

For and on behalf of the Jurisdictional Registrar of Companies
Registrar of Companies
Central Registration Centre

Disclaimer: This certificate only evidences incorporation of the company on the basis of documents and declarations of the applicant(s). This certificate is neither a license nor permission to conduct business or solicit deposits or funds from public. Permission of sector regulator is necessary wherever required. Registration status and other details of the company can be verified on www.mca.gov.in

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

REDCLIFFE LIFETECH PRIVATE LIMITED
No. H-55, 3rd Floor., Sector 63., Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar
Pradesh, India, 201301



* as issued by the Income Tax Department

भारतीय गैर न्यायिक



पचास
रुपये
रु.50

FIFTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

X 618623



CHHATTISGARH

किरायानामा

— श्री शरद शर्मा, उम्र-32 वर्ष
पिता श्री श्रवण शर्मा
निवासी-महेश कॉलोनी श्रीनगर रोड
गुढ़ियारी रायपुर, तहसील एवं जिला
रायपुर (छ.ग.)-पिन-492009
आधार क्र.-5536 8831 4026

किरायेदार

— रेडक्लिफ लाईफटेक प्रा. लि.
एच-55, सेक्टर-63, इलेक्ट्रॉनिक
सिटी, नाएडा-201301 (उ.प्र.) इंडिया



इस किरायानामा दुकान मालिक एवं किरायेदार याने दोनों पक्षकारों की सहमति एवं रजामंदी के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन किरायानामा निष्पादित किया जा रहा है :-



Page 1 of 3
8 JUN 2021

(शब्दों में)

क्रेता का नाम पिता/पति

साकिन का ग्राम तहसील जिला

मार्फत वाले का नाम पिता/पति

साकिन ग्राम तहसील जिला

पक्षकारों के नाम विक्रेता पिता/पति

साकिन का ग्राम जिला

संव्ययहार का उद्देश्य नाम कीमती

हस्ताक्षर मुद्रांक पत्र केता

Gesh

अशोक कुमार/साहु
स्टाम्प विक्रेता
शीला नगर, रायपुर
क्र.नं. 368 / 02 / 19

DISTRICT TREASURER
14 MAY 2021
RAIPUR (CHHATTISGARH)

CHHATTISGARH
Aakash Kumar
Hazra
Secretary/Advocate
RAIPUR (C.G.) India
REG. NO. C.G. 1/99
01/02/2021

CHHATTISGARH
Aakash Kumar
Hazra
Secretary/Advocate

1. यह कि भूमि स्वामी दुकान मालिक के स्वयं के स्वामित्व, आधिपत्य एवं कब्जे में एक पक्का दुकान जो कि वाके मौजा गोंदवारा (गोंदवारा मुख्य रोड पर लवकुश फनीचर के पहले), प.ह.नं.-108/37, खसरा नं.-199/5 रकबा 0.0150 हे. रा.नि.मं.-रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित है, जिसे किरायेदार अपने व्यवसायिक उपयोग हेतु शर्त अनुरूप किराये पर लिये हैं, जो कि दुकान मालिक अपनी राजीखुशी के साथ किराये पर दे रहा है।
2. यह कि उक्त दुकान कि किरायेदारी दिनांक 08/06/2021 से प्रारंभ होगा, जो कि अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए है एवं प्रत्येक 11 माह में नया किरायानामा निष्पादित किया जायेगा।
3. यह कि किरायेदारी दुकान का किराया 12,000/- रुपये (बारह हजार रुपये) प्रतिमाह तय किया गया है, जो कि मुझ किरायेदार को मान्य है।
4. यह कि, उक्त दुकान के बिजली के बिल का भुगतान मीटर रीडिंग के अनुसार किरायेदार स्वयं करेगा जिसकी राशि किराये की राशि में समायोजित नहीं होगी, जिसका भुगतान रसीद किरायेदार दुकान मालिक को देगा, एवं किरायेदार उस बिजली मीटर से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, यदि अगर वह छेड़छाड़ करता है, तो उसका जिम्मेदारी किरायेदार स्वयं रहेगा।
5. यह कि किरायेदार उक्त किराये अवधि में उक्त दुकान की स्वच्छता को बनाए रखेगा एवं उक्त दुकान में किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक या अवैधानिक कार्य नहीं करेगा, यदि किरायेदार ऐसा कोई भी अवैधानिक कार्य करता है, तो वह स्वयं उसका जिम्मेदार होगा, एवं किरायेदारी समाप्त कर दी जावेगी।
6. यह कि किरायेदार उक्त दुकान को उपकिरायेदारी पर नहीं देगा।
7. यह कि अगर निर्धारित किराया अवधि के अंदर यदि दुकान मालिक को उक्त किरायेदारी संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है तो वह किरायेदार को तीन माह पूर्व सूचना देकर दुकान खाली करवा सकता है। इसी प्रकार यदि किरायेदार उक्त किरायेदारी दुकान को खाली करता है, तो वह दुकान मालिक को तीन माह पूर्व सूचना देकर दुकान खाली कर सकेगा।
8. यह कि उक्त किरायेदारी दुकान एवं अपने सामान सुरक्षा किरायेदार स्वयं करेगा, इसमें दुकान मालिक की कोई जवाबदारी नहीं है।

8 JUN 2021

9. यह कि यदि दुकान मालिक एवं किरायेदार सहमत है तो ग्यारह माह पश्चात् आगे की किरायेदारी बढ़ाने के लिए किराये की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि किया किरायानामा निष्पादित कर सकते हैं।
10. यह कि उक्त सम्पत्ति की सुरक्षा निधि के रूप में किरायेदार ने दुकान मालिक को 24,000/- रुपये (चौबीस हजार रुपये) बैंक या बैंक ट्रांसफर द्वारा दिया है, जिसे दुकान मालिक किरायेदार को दुकान खाली करते समय बिना किसी ब्याज के वापस करेगा।
11. यह कि किरायानामा की समस्त शर्तों का पालन करने हेतु किरायेदारी बाध्य रहेगा, किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर उक्त दुकान की किरायेदार समाप्त कर समयावधि के पूर्व ही उक्त दुकान के किरायेदार को बेदखल करने का अधिकार दुकान मालिक को रहेगा।

इसलिए उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षों ने किरायेनामे की शर्तों को पढ़कर सुनकर, समझकर गवाहों के समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिया ताकि सन्दर्भ एवं वक्त जरूरत पर काम आवें।

हस्ताक्षर दुकान मालिक

[Signature]

हस्ताक्षर किरायेदार

[Signature]

गवाह :-

IDENTIFYING WITNESS

1. Gauri Sharma S/o

Sharwan Sharma

Prasanna Nagar Raipur,

मनीष शर्मा

पिता गुरव शशीर शर्मा

नया दला व मनीष

वृद्धिपार्सी रायपुर छ.ग.

ATTESTED

HIMANISH KUMAR NAZRA
NOTARY/ADVOCATE
RAIPUR, (C.G.) INDIA

I have not drafted
this document Only
Signature Attested

8 JUN 2021